Ques → लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के क्या तरीके हैं। Dr. S. B. Kr.

Ans → आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्था में अब यह स्वीकार किया जाता है कि संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन पर नियंत्रण रखना है। इससे अभिप्राय है कि सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है या उसने कदम बढ़ाये हैं उस पर संसद को अपनी सहमति अथवा असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। संसदीय नियंत्रण के अभाव में प्रशासकीय क्रियाओं में उचित समन्वय नहीं रह पाता। एक ही कार्य के विभिन्न पहलुओं से जब अनेक विभाग संबंधित हो जाते हैं तो नौकरशाही का विद्रूप रूप सामने आता है जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य जनता को कठिनाईयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण अपरिहार्य है।

प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण → उपकरण → संसद और लोक प्रशासन के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि नागरिक जीवन में ये दोनों संस्थायें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जनता की संप्रभुता प्राप्त प्रतिनिधी संस्था के रूप में संसद का यह उत्तरदायित्व माना जाता है कि वह लोक प्रशासन को जनहित की दिशा में संचालित करें। अपने इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये संसद को निषेधात्मक एवं विधेयात्मक दोनों ही प्रकार के कदम उठाने होते हैं।

प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिये संसद मुख्य रूप से जो साधन अपनाती है, उनकी संक्षिप्त-चर्चा निम्नवत है।

(1) **राष्ट्रपति का अभिभाषण** :→ संसद के नये अधिवेशन के आरंभ में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं जिसमें कई बार लोक सेवाओं के कार्यों एवं उपलब्धियों का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के भाषण पर विवाद करते समय प्रशासनिक अधिकारियों के क्रियाकलापों पर अनेक वक्तव्य प्रदान किये जाते हैं। इस प्रकार वाद - विवाद का यह अवसर लोक सेवकों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का एक सफल साधन प्रतीत होता है।

(2) **प्रश्न काल** → प्रश्न पूछना संसदीय नियंत्रण का एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है। संसद के सदस्य उचित समय की सूचना देकर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। संबंधित मंत्रियों को प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। प्रश्न अनेक उद्देश्यों से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न प्रशासकों को सावधान रखते हैं। अनेक प्रश्न नौकरशाही को जवाबदेय बनाने के लिये पूछे जाते हैं। प्रश्न-काल एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा प्रशासकीय नीति

P.T.O.

Scanned with CamScanner

②
अथवा क्रिया के किसी भी भाग की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करवाया जा सकता है। 1956 में जीवन बीमा निगम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया जिसके फलस्वरूप इतना विवाद बढ़ा कि तत्कालीन वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था।

③ **वाद - विवाद तथा बहस** :→ आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की एक अन्य प्रभावपूर्ण युक्ति है वाद - विवाद तथा बहस। इस साधन के द्वारा संसद के सदस्य सरकार के द्वारा किये गये कार्यों का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। प्रशासकों के व्यवहार पर बहस एवं विचार विमर्श के लिये मुख्य रूप से सांसदों को तीन प्रकार से अवसर प्राप्त होते हैं। ① जब कोई नया विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर होने वाली बहस के समय विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रशासन की पुनरीक्षा की जाती है।
(ii) भारतीय संसद को लोक प्रशासन की पूरी जाँच करने का अवसर आधा-घंटे के विचार विमर्श में भी प्राप्त होता है।
(iii) अल्पकालीन विचार विमर्श में किसी अत्यावश्यक विषय पर विचार करते हुये संसद सदस्यों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को भी वाद विवाद का विषय बनाया जा सकता है।

④ **बजट पर बहस** → बजट पर होने वाले वाद विवाद प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। संसद में जैसे ही बजट प्रस्तुत किया जाता है इस पर सामान्य चर्चा आरंभ हो जाती है। बजट पर बहस करने का दूसरा अवसर सदस्यों को तब मिलता है जब विभिन्न विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान होता है। इस अवसर का पूरा-2 लाभ उठाते हुये संसद सदस्य विभागों की प्रशासकीय क्रियाओं की सूक्ष्म जाँच और परीक्षण करते हैं।

⑤ **स्थगन प्रस्ताव** :→ सार्वजनिक महत्व के किन्हीं भी मामलों पर स्थगन प्रस्ताव सदस्यों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा वे किसी भी प्रशासनिक विभाग के कार्य संचालन पर विवाद कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के माध्यम से संसद सदस्यों द्वारा संसद सदस्यों के निश्चित कार्यक्रम को रोककर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर बहस की जा सकती है। अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रस्तावित विषय पर विचार विमर्श प्रारंभ हो जाता है और सदन की निर्धारित कार्यवाही कुछ समय के लिये स्थगित करदी जाती है।

⑥ **अविश्वास प्रस्ताव** :→ इसे निन्दा प्रस्ताव भी कहते हैं। संसदीय प्रणाली वाले देशों में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। संसद के गहन असंतोष तथा विरोध की स्थिति में कार्यपालिका अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकती। इसी कारण संसदीय असंतोष को फलीभूत न होने देने के लिये मंत्रिमंडल

Scanned with CamScanner

संसद के बहुमत को अपने पक्ष में रखता है तथा प्रशासन को के कार्यों की देखरेख करके उनको असंतुष्ट होने का अवसर नहीं देता।

(7) **संसदीय समितियाँ** :→ प्रशासन पर नियंत्रण रखने में संसदीय समितियों का भी हाथ रहता है। वे प्रशासन के कार्यों की जाँच पड़ताल करती हैं। भारतीय संसद में प्रशासन पर नियंत्रण रखने वाली मुख्य तीन समितियाँ हैं। (1) सार्वजनिक लेखा समिति (2) अनुमान समिति और आश्वासन समिति। प्रथम दो संसद की वित्तीय समितियाँ हैं और वे प्रशासन पर विस्तृत एवं ठोस नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण सहयोग देती हैं। सार्वजनिक लेखा समिति विनियोजन लेखों की सूक्ष्म जाँच करती है और उनमें पायी जाने वाली अनियमितताओं को प्रकाश में लाती है ताकि भविष्य में उनकी रोकथाम की जा सके। अनुमान समिति विभिन्न विभागों में व्ययों का पुनरावलोकन करने के पश्चात् उनमें मितव्ययिता लाने का सुझाव देती है। आश्वासन समिति उन आश्वासनों, वायदों आदि की छानबीन करती है जो मंत्रियों द्वारा समय-2 पर सदन में दिये जाते हैं।

(8) **लेखा परीक्षा** :→ लेखा परीक्षा व्यय पर नियंत्रण बनाये रखने का महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लेखा परीक्षण का कार्य नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है। लेखा परीक्षण विभाग कार्यपालिका के अंकुश से बाहर एक स्वतंत्र निकाय है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य यह देखना है कि प्रशासन के विभिन्न विभाग स्वीकृत धनराशि का व्यय संसद के आदेशानुसार ही कर रहे हैं या नहीं। वह प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन संसद के सम्मुख रखता है और इस प्रकार प्रशासन की धन संबंधी त्रुटी प्रकाश में लाता है।

भारत में संसदीय नियंत्रण की समीक्षा → (An Estimate of Parliamentary Control over administration in India) → भारतीय संसद, विशेषतः इसकी लोकसभा प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य बड़ी सफलता से कर रही है। श्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा भारतीय प्रशासन में सुधार के संबंध में बुलाये गये अमरीकी विशेषज्ञ प्रो० एपलबी ने इस समस्या का गंभीर अध्ययन करने के बाद लिखा था "वाद विवाद और प्रश्नों की विधियों की सहायता से संसद सदस्य प्रशासन पर कड़ी देखरेख रखते हैं। इसको सदैव जागरूक और सावधान बनाये रखते हैं वे अपनी तीव्र और कटु आलोचनाओं से सरकारी विभागों की कार्य पद्धति में निरंतर संशोधन और सुधार करते रहते हैं।"

यद्यपि यह सत्य है कि उपरोक्त विधियों से संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती है तथापि वास्तविकता यह

P.T.O

Scanned with CamScanner

है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं है जितना होना चाहिये। प्रशासन को प्रभाव शाली नियंत्रण में रखने के लिये संसद के पास न तो पर्याप्त समय रहता है और न ही दक्ष कर्मचारी। सरकार संसद में दलीय बहुमत के कारण सुरक्षित रहती है और विरोधी दलो की आसानी से उपेक्षा कर सकती है।

संसद किस सीमा तक प्रशासकों पर नियंत्रण रखे और विरोधी दलो किस सीमा तक उन्हें विवेकीय शक्तियाँ प्रयुक्त करने की छूट दे - यह एक बहुत ही नाजुक समस्या है। अनेक बार संसद का हस्तक्षेप इतना अधिक और व्यापक हो जाता है कि वह नियंत्रण की परिधियो में सीमित न रह कर के हस्तक्षेप बन जाता है। और इस प्रकार लोक प्रशासकों के कार्यो पर अनेक प्रतिबंध लग जाते है। भारत में संसदीय नियंत्रण की सफलता के मार्ग में अनेक कठिनाईयाँ है जैसे प्रथम → संसद के सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते। द्वितीय → संसदद्वारा किया गया कार्यो का विस्तृत निर्धारण गलत साबित हो सकता है। तृतीय - भारतीय संदर्भ में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण मंत्रियो को उनके उत्तरदायित्व से मुक्ति का एक बहाना देता है। चतुर्थ → संसद द्वारा प्रशासनिक अधिकारियो की आलोचना एकपक्षीय होती है। इत्यादी।

भारत में यह एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है कि संसदीय नियंत्रण अपनी गरिमामय स्थिति को प्राप्त कर सके। संसद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मंत्री के माध्यम से प्रशासन की खबर ले और प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में उतना ही हस्तक्षेप करे जितना उसे नियंत्रित करने के लिये अपेक्षित है। उन्हें ऐसा हर संभव प्रयास करना चाहिये कि जिसके आधार पर लोक प्रशासकों के अनाम् व्यवहार, निष्पक्षतापूर्ण आचरण तथा स्वतंत्र एवं इमानदारीपूर्ण निर्णयो की रक्षा की जा सके।

अस्तु अंतिम निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद के सदस्य संसद में सर्वथा स्वतंत्र और उन्मुक्त होकर बहस करते है और इससे वे प्रशासन के सुचारु संचालन पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालते हैं। सरकारी कर्मचारियो के अपने अधिकारो के निरंकुश प्रयोग, दुरुपयोग पर अंकुश लगाना तथा इनके लोक हित विरोधी कार्यो को रोकना विधायको तथा सांसदो का आवश्यक कर्तव्य है। परन्तु वे सुनी सुनाई अफवाहो या अप्रमाणिक खबरो के आधार पर सरकारी कर्मचारियो तथा प्रशासन की निराधार आलोचना करते हैं जिसके भयंकर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र विशेषज्ञ प्रशासक और कुशल राजनीतिज्ञ के सहयोग से चलता है। ये दोनों शासन रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। अतः सांसदो को निराधार छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से बचे रहना चाहिये। (END)

Scanned with CamScanner